न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व वाद सं. 75/2025
अन्तर्गत धारा 188 RT Act.

वादी – 1. हठेसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी द्राभा तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर 2. रूपाराम पुत्र रेऊराम जाति जाट निवासी बीजराड़ तहसील चौहटन 3. भूरसिंह राजपुरोहित पुत्र शंकरसिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. बाबूलाल पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी चौहटन जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगण – प्रतिवादी सं. 1 एकतरफा,
प्रतिवादी सं. 2 राज पेरोकार उपस्थित

वादीगण के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा चौहटन तहसील चौहटन में खसरा संख्या 1552/498 रकबा 4बीघा 16 विस्वा किस्म बा.सो. में आई हुई। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है तथा वादीगण का निर्विवादित पक्का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि चौहटन से बाड़मेर जाने वाली पुरानी सड़क पर अवस्थित है तथा चौहटन शहर के नजदीक है। वाद में वर्णित भूमि चौहटन की भगवत कॉलोनी के पास है तथा उक्त भूमि के पूर्व दिशा में भगवती नगर की चार दिवारी है, उत्तर में चौहटन से दूधवा जाने वाला सरकारी मार्ग है, पश्चिम में खसरा नम्बर 498 तथा दक्षिण में चौहटन से बाड़मेर जाने वाली ग्रेवल सडक है उक्त पडौसान के बीच वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि है।

वादीगण की खातेदारी व कब्जासुदा भूमि है तथा भूमि का माननीय सहायक कलक्टर चौहटन के निर्णयानुसार बंटवाड़ा व तरमीम राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया। वादीगण जब अपने तरमीम शुदा खातेदारी खेत का उपयोग उपभोग किया जा रहा था तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के उपयोग उपभोग में वाद विवाद ... भूमि प्रतिवादी ... वादीगण के खातेदारी खेत का सेढा पड़ौसान नही है। प्रतिवादी सं. 1 बाबूलाल का खातेदारी वाद में वर्णित खेत से करीबन 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.10 19:34:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

किलोमीटर दूर खातेदारी खेत है बावजूद प्रतिवादी सं. 01 अपनी खातेदारी नकल के बहाने वादीगण के खातेदारी तरमीम शुदा खेत में उज्र ऐतराज कर रहा है।

वादीगण अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा चौहटन तहसील चौहटन में खसरा संख्या 1552/498 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा किस्म बा.सो. में प्रतिवादी सं. 01 बाबूलाल, वादीगण के वादग्रस्त खेत के उपयोग–उपभोग में व्यवधान पैदा न करे तथा न ही किसी अन्य के मार्फत वादीगण के उक्त खातेदारी खेत में कब्जा करे। माफिक दावा वादीगण के पक्ष में विरूध प्रतिवादी सं. 01 स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। जिसके लिए यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजि.सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुए, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से राज पेरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा चौहटन में खसरा सं. 1552/498 रकबा 04 बीघा 16 विस्वा किस्म बा.सो. का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 01 बाबूलाल वादीगण खातेदारी खेत में उपयोग–उपभोग में व्यवधान पैदा न करे न ही किसी अन्य के मार्फत खातेदारी खेत में कब्जा करे। इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

(रणछोड़ लाल),
सहायक कलक्टर
(एसडीओ), चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.10 19:34:12 IST
Reason: SelfAttested